[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Notification

New Delhi, 5th July, 2018

G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration of Charges) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration of Charges) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration of Charges) Rules, 2014,

(i) in rule 3, in sub-rule (1), for the words "and filed", the words "shall be filed" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (1) of rule 8, the following shall be substituted namely;-

"8. "(1) A company **or charge holder** shall within a period of **three hundred days** from the date of the payment or satisfaction in full of any charge registered under Chapter VI, give intimation of the same to the Registrar in Form No.CHG-4 along with the fee." ;

(iii) in rule 12, in sub-rule (1), for the words "within thirty days" the words "**within a period of three hundred days"** shall be substituted.

IndiaCode

[F.No. 01/10/2013 CL-V]

05/7/18

K.V.R.Murty, Joint Secretary.

Note: The principal notification rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 248(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R 440(E)	29th May, 2015
2.	G.S.R. 339 (E)	7th April, 2017

IndiaCode

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 05 जुलाई , 2018

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा) में-

(i) नियम 3 के उप-नियम (1) में, "और दायर" शब्दों के लिए "और दायर किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) नियम 8 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् -

"8. **प्रभारों का शोधन.-** (1)कोई कंपनी **या प्रभार धारक** अध्याय 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी प्रभार के पूर्ण भुगतान या पुष्टि की तारीख से तीन सौ दिन के भीतर रजिस्ट्रार को फीस सहित प्ररूप सं. सीएचजी-4 में सूची देगी।"

(iii) नियम 12 के उप-नियम (1) में, "तीस दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर "**तीन सौ दिन की अवधि के भीतर**" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं.01/10/2013-सीएल.V]

के.वी.आर. मूर्ति
05/7/18

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 248(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई -

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि.440(अ)	29 मई, 2015
2.	सा.का.नि.339(अ)	07 अप्रैल, 2017

IndiaCode